

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)  
**Phone No. 07775-266122 E-mail – dlsa.surajpur@gmail.com**  
**:-विज्ञापन:-**

क्रमांक 8 / जि.वि.से.प्रा. / 2025

सूरजपुर दिनांक 02.01.2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ0ग0 के अंतर्गत कार्यालय स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के (LADCS) लिये कार्यालय सहायक/क्लर्क, एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद											अनारक्षित पद				
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			सामान्य				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1.	कार्यालय सहायक/क्लर्क	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2.	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

**आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17.01.2025 के शाम 5.00 बजे तक** कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर में रखे ड्राप बाक्स में डालकर प्रस्तुत करें। (अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।)

**टीप:-**

क. परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. उक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के रूप में निश्चित/निर्धारित मानदेय पर की जावेगी, जिनका कार्यकाल 01 वर्ष की अवधि के लिये होगा। नियुक्त स्टाफ की उपस्थिति नियमित, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने पर नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. नियुक्त किये गये कर्मचारी छ0ग0 शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिये निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

**भर्ती की पात्रता एवं शर्तें**

(1) कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिये:-

अ- वेतनमान क्लास-बी:- संविदा एकमुश्त 17,000/- रू0 मासिक

ब- शैक्षणिक योग्यता:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational qualification : Graduation)

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

**Phone No. 07775-266122 E-mail – dlsa.surajpur@gmail.com**

2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डाटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basis word processing skill and the ability to operate computer and skill to feed data)
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good Typing speed with proper setting of petition.)
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाईलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिये। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the courts.)
5. फाईल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिये। (File maintenance and processing knowledge.)

(3) कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिये:-

अ- वेतनमान क्लास-बी:- संविदा एकमुश्त 10,000/- रू0 मासिक

ब- शैक्षणिक योग्यता:-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण हो।

**आयु एवं पात्रता**

(कार्यालय सहायक/क्लर्क, एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)

- (1) रोजगार कार्यालय का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)
- (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (ब) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा और पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (2) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।
- (3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आयोजकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

**उच्चतर आयु सीमा में छूट**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी:-

- 3(एक) (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 3(एक) (2) छत्तीसगढ़ शासन सीपी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यदि अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

Phone No. 07775-266122 E-mail – [dlsa.surajpur@gmail.com](mailto:dlsa.surajpur@gmail.com)

3(एक) (3) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण:-** छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3(एक) (4) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में ऐसे उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा किन्तु उसके परिणाम स्वरूप में आये निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

3(एक) (5) महिलाओं के लिये आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा छूट के अतिरिक्त होगी।

3(एक) (6) शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की गयी है। इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3(एक) (7) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष का अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(एक) (8) स्वयंसेवी, नगरसैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

3(एक) (9) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की हो यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक) (10) शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(दो) (1) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन परियोजना के अंतर्गत पुरुस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट:- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो) (2) विक्रम पुरुस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेड पुरुस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरुस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

**टीप:-**

1. बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वालों को एक ही छूट मिलेगी।
2. बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार

**कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)**

**Phone No. 07775-266122 E-mail – dlsa.surajpur@gmail.com**

रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 3 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

**उदाहरण:-** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।

3. उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

**नोट:-** अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

### **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरें एवं बंद लिफाफे में जिसके उपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर (छ0ग0) में दिनांक 17.01.2025 की संध्या 05.00 बजे तक कार्यालय में रखे ड्राप बाक्स में जमा करना होगा। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. अभ्यर्थी को एक से अधिक पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

### **नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया**

#### **कार्यालय सहायक/क्लर्क, के पद हेतु:-**

##### **प्रथम चरण : स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता**

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये जारी पदों के 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रावीण्यता (मेरीट) पर जारी की जायेगी। समान अंकों की दशा में जन्म तिथि आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जायेगा। जन्म तिथि समान होने पर अंग्रजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

##### **द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा**

#### **कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट-सह- डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) (संविदा) के पद हेतु:-**

उक्त पदों हेतु पृथक-पृथक कौशल परीक्षा 500 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से पांच मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑरपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

**Phone No. 07775-266122 E-mail – dlsa.surajpur@gmail.com**

में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये एक अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिये होगा।

**टीप:-** कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**मेरीट सूची:-** कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरीट सूची तैयार की जायेगी। चयनित अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में समान अंक होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के मेरीट सूची के अनुसार रिक्त पद से तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा।

**चयन प्रक्रिया:-** उक्त साक्षात्कार परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जायेगी। दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

**कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) के (संविदा) पद हेतु :-**

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये रिक्त पदों के 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा पांचवीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम तैयार की जायेगी। तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

**टीप:-** यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा पांचवीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा पांचवीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्वप्रमाणित दस्तावेज निरर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जायेगा।”

### **अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी**

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये

### **अन्य आवश्यक सूचनाएं**

(A) नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर को होगा।

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

**Phone No. 07775-266122 E-mail – dlsa.surajpur@gmail.com**

(B) उपरोक्त पदों पर मेरीट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो एक वर्ष के लिये वैध होगी।

(C) प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। तथा कार्यालय के वेबसाईट <https://district.ecourt.gov.in/surajpur> में भी अपलोड किया जायेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 5.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(D) परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में जा सकेगी।

नोट:- पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट <https://surajpur.dcourts.gov.on/> के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे कार्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहें।

प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के छः माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की उपरांत केवल तीन माह तक ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी।

स्थान:

दिनांक

सही / -

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्या0 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)  
**Phone No. 07775-266122 E-mail – dlsa.surajpur@gmail.com**

**:-विज्ञापन:-**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के अंतर्गत स्थापित कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम (LADCS) हेतु 01 अतिरिक्त डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं 02 अतिरिक्त असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की नियुक्ति किया जाना है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल का मासिक मानदेय 50,000/- एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल का मानदेय 30,000/- निर्धारित है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल हेतु कम से 30 आपराधिक प्रकरणों में 10 वर्षों का अनुभव वाले एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल हेतु आपराधिक प्रकरणों में 03 वर्ष का प्रैक्टिस का अनुभव वाले अधिवक्ताओं का आवेदन दिनांक 17.01.2025 तक निम्नानुसार मंगाया जाना है:-

1. नाम:-
2. पिता का नाम :-
3. योग्यता :-
4. अधिवक्ता का पंजीयन क्रमांक :-
5. वकालत का अनुभव वर्षों में :-
6. आवेदित पद का नाम :-
7. मोबाईल नंबर :-

अतः लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम (LADCS) में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल का कार्य करने हेतु इच्छुक एवं सहमत अधिवक्ताओं का आवेदन मंगाये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार इशतेहार जारी किया जाता है।

  
(डॉली ध्रुव)

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)